श्री अशोक पाल पुत्र श्री रमेश पाल ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर एवं श्री प्रकाश बनकोटी पुत्र श्री अर्जुन सिंह बनकोटी द्वारा मै0 गुरना सोपस्टोन माईनिंग ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 25.07.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

श्री अशोक पाल पुत्र श्री रमेश पाल एवं श्री प्रकाश बनकोटी पुत्र श्री अर्जुन सिंह बनकोटी द्वारा मै0 गुरना सोपस्टोन माईनिंग ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड, (6.570 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) तथा हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दि0 19.06.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में उपजिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिं0 25.07.2024 को निकट परियोजना स्थल में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष उपजिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

उपजिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार मैसर्स काग्नीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्रा0लि0 के पर्यावरण सलाहकार श्री हरीश कैंथोला द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, परियोजना का खनन स्थल ग्राम–नयाल चमोली पलसारी, तहसील व जिला–बागेश्वर में स्थित है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र में दिन व रात में सौर के स्तर की जॉच की गयी जो सी0पी0सी0बी0 के निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावति सोप स्टोन खदान जहा सल्फर डाईऑक्साईड, नाईट्रोजन के आक्साईड़ का उत्सर्जन वाहनों की आवाजाही से होता है वहा पी0यू0सी0 प्रमाण पत्र वाले वाहनों को संचालित किया जायेगा। अस्थाई धूल और कण प्रमुख प्रदूषक है जो खनन गतिविधियों से उत्पन्न होंगे। खनन सामग्री ढोने वाले ट्रकों व टिप्परों का अच्छी तरह से रख रखाउ किया जायेगा। सोप स्टोन के खनन से पानी गुणवत्ता और माप दण्डों पर कोई महत्तवपूर्ण प्रभाव नहीं पडता है, क्योंकी खनन भू–जल स्तर का अवरोधन नहीं करता है। इस परियोजना में किसी पेजय जल धारा को मोडने या काट–छाट करने का प्रस्ताव नहीं है। नदी से पानी की पम्पिंग के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, इस परियोजना से सतही

जल विज्ञान और भू–जल व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। खनन से नदी के पानी, भू–जल तथा अन्य किसी भी निकटतम जलाशय के पानी को कोई क्षति नहीं होगी। खनन गतिविधियों प्रारम्भ होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों को भी उपलब्ध करायी जायेगी, शैक्षणिक सुविधाएं गांवों में पेय जल की उपलब्धता क्षेत्र में मौजूदा सडकों के निर्माण/सुदृढीकरण का कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित खनन परियोजना से रोजगार का सर्जन होगा जिसमें स्थानीय अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमीकों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना की कुल सी0ई0आर0 लागत रू 2,75,000/– तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना हेतु कुल बजट रू 6,50,000/– प्रस्तावित है। खनन क्षेत्रान्तर्गत पॉच वर्षो में तीन हजार पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। रोपण के बाद सफलता दर के मूल्यांकन के लिए हर मौसम में क्षेत्र की नियमित निगरानी की जायेगी। खनन गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री अर्जुन सिंह बनकोटी ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड़ः–श्री बनकोटी द्वारा सभी का स्वागत करते हुये कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से गॉव के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तथा गॉव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रस्तावित खनन परियोजना में योग्यतानुसार स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहियें।

2. श्री सुरेन्द्र सिंह कन्याल ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड़ः–श्री कन्याल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि खनन कार्य से गॉव के जल स्त्रोतों, पनघट, नौलों, रास्तों आदि का नुकसान नहीं होना चाहियें तथा खनन कार्य मानकानुसार किया जाना चाहियें। खनन परियोजना से गॉव का आर्थिक विकास होगा। खनन प्रस्तावक द्वारा गॉव के नजदीकी विद्यालय तथा चिकित्सालय के विकास तथा संरक्षण हेतु भी कार्य किया जाना चाहियें। खनन क्षेत्र के आस–पास वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाना चाहियें।

3. श्री पवन कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य गुरना, तहसील व जिला–बागेश्वरः–श्री पवन कुमार द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से जिला खनन न्यास के बजट से गॉव का विकास होगा। पूर्व में भी क्षेत्र के आस–पास खनन कार्य नियमानुसार नहीं किया जा रहा है, जोकि अनुचित है। खनन कार्य वैज्ञानिक रूप से नियमानुसार किया जाना चाहियें तथा परियोजना के प्रस्तावक से अपेक्षा की गयी की गॉव में शिक्षा, स्वास्थ तथा रोजगार सृजन की दिशा में भी कार्य करेंगे।

4. श्रीमती आनंदी देवी ग्राम प्रधान, ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः– श्रीमती आनंदी देवी द्वारा कहा गया कि अगर प्रस्तावित खनन परियोजना से गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।

उपजिलाधिकारी

5. श्रीमती जानकी देवी ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः– श्रीमती जानकी देवी द्वारा कहा गया कि खनन प्रस्तावक द्वारा गॉव के विकास हेतु कार्य किया जाना चाहियें। गॉव के युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार दिया जाना चाहियें। प्रस्तावित खनन परियोजना से गॉव का विकास होगा।

6. श्रीमती मंजू देवी ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः– श्रीमती मंजू देवी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में क्षेत्र के आस–पास खनन कार्य से हम बहुत परेशान है, प्रस्तावित खनन परियोजना के पास हमारा मकान स्थित है, जिसे कोई क्षति नहीं पहुचनी चाहियें।

7. श्री कुणाल बनकोटी ग्राम–गुरना, तहसील एवं जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्डः– श्री कुणाल बनकोटी द्वारा कहा गया कि गॉव के युवा रोजगार की तलाश में गॉव से पलायन कर रहें है, प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पट्टाधारक द्वारा यह ध्यान रखना चाहियें की खनन कार्य वैज्ञानिक रूप से मानकानुसार किया जाना चाहियें। हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।

8. श्री मनोज भट्ट प्रतिनिधि परियोजना प्रस्तावकः– श्री मनोज भट्ट द्वारा लोक सुनवाई उपस्थित सभी लोगो का स्वागत करते हुये कहा गया कि अगर क्षेत्र का व्यक्ति ही खनन कार्य करेंगा तो वह गॉव के विकास तथा रोजगार के बारे में कार्य करेंगा। जिससे गॉव वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी कोशिश यही रहेंगी की खनन कार्य किये जाने से ग्रामवासीयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हों तथा जो भी ग्रामवासीयों द्वारा आपत्तियां एवं सुझाव दिये जाते है उसका में पूर्ण रूप से पालन करने का हर संभव प्रयास करूँगा।

तद्क्रम में उपजिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक की प्राथमिकता स्थानीय लोगों के विकास हेतु होनी चाहिये। गॉव के आस–पास गौचर भूमि, पनघट, रास्तों का संरक्षण करते हुये गॉव वालों के सहयोग से खनन कार्य किया जाना चाहिये।

सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया। उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(मोनिका)
उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

श्री अशोक पाल एवं श्री प्रकाश बनकोटी द्वारा ग्राम- गुरना, तहसील- व जिला- बागेश्वर में प्रस्तावित गुरना सोप स्टोन माइनिंग (क्षे० 6.570 है०) हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण-

सुनवाई स्थल- ग्राम- गुरना, बागेश्वर
समय एवं तिथि- प्रातः 11:00 बजे दिनांक 25/07/2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मोनिका	उपजिलाधिकारी बागेश्वर	[signature]
2.	डा० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नि० बोर्ड- हल्द्वानी	[signature]
3.	हरीश कैड़ोला	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4.	सी० सी० जोशी	अधि० संघ	[signature]
5.	मनोज भट्ट	गुरना	[signature]
6.	सुरेन्द्र सिंह कन्याल	गुरना	[signature]
7.	अर्जुन सिंह बनकोटी	गुरना	[signature]
8.	[illegible] सिंह	गुरना	[signature]
9.	भी[illegible]सिंह	गुरना	[signature]
10.	प्रताप सिंह	गुरना	[signature]
11.	बहादुर सिंह	गुरना	बहादुर सिंह
12.	आनन्दी देवी	गुरना	आनन्दी देवी
13.	अंगुली देवी		[signature]
14.	मंजू देवी	"	[signature]
15.	रेखा देवी	"	रेखा देवी
16.	ममता देवी	"	[signature]
17.	शान्ति देवी	"	[signature]
18.	जानकी देवी	गुरना	जानकी देवी
19.	पुष्पा बनकोटी	गुरना	[signature]
20.	दीपा देवी	गुरना	दीपा देवी
21.	पार्वती देवी	गुरना	प्रियंका किरमोलिया
22.	पुष्पा देवी		पार्वती देवी
23.	हिमती देवी	गुरना	हिमती देवी
24.	राजेन्द्र सिंह	~	[signature]
25.	[illegible] सिंह	~	[signature]
26	पवन कुमार क्षेत्र प० सदस्य	गुरना	[signature]

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	हिमांशु	गुरना	[signature]
9	प्रदीप कुमार पाण्डे	गुरना	[signature]
0	भगवती सिंह नगरकोटी	गुरना	[signature]
31	हरीश सिंह नगरकोटी	गुरना	[signature]
32	प्रकाश सिंह नगरकोटी	गुरना	[signature]
33	[illegible] नगरकोटी	गुरना	[signature]
34	कुन्दन सिंह	गुरना	[signature]
35	[illegible] नगरकोटी	"	[signature]
36	कुनाल नगरकोटी	गुरना	[signature]
37	भगवती सिंह	गुरना	[signature]
3	[illegible] गोस्वामी	बागेश्वर	[signature]